



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्या:- 105/2014 एवं 106/014.....जिला-जयपुर।

उनयान- मैसर्स सिपला लिमिटेड, जयपुर बनाम सहायक सहायक,विशेष वृत्त,राज.,जयपुर व उपायुक्त (अपील्स)तृतीय,जयपुर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की रागील में जारी हुए
19.09.2014	<p align="center"><u>खण्डपीठ</u> श्री राकेश श्रीवास्तव,अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा, सदस्य</p> <p>उक्त विविध प्रार्थना पत्र, अपीलीय अधिकारी, तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ के प्रकरण अपील संख्या 759/2014/जयपुर मैसर्स सिपला लिमिटेड, जयपुर बनाम सहायक सहायक,विशेष वृत्त,राज.,जयपुर व उपायुक्त (अपील्स)तृतीय,जयपुर निर्णय दिनांक 15.05.2.14 के संबंध में प्रस्तुत कर, प्रकरण निस्तारण की समयवधि, बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक व व्यवहारी की ओर श्री अलकेश शर्मा, बहस हेतु दिनांक 17.09.2014 को उपस्थित हुये। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की ओर से प्रकरण के निस्तारण हेतु समयवधि बढ़ाने का निवेदन किया गया,जिस पर व्यवहारी की ओर से प्रकरण के निस्तारण हेतु समयवधि बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी।</p> <p>उभयपक्षीय बहस व उपायुक्त(अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरण के निस्तारण हेतु कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा निर्णय दिनांक 15.05.2014 के जरिये पूर्व में निर्धारित समय सीमा मय स्थगन पूर्व पारित आदेश दिनांक 15.05.2014 की शर्तानुसार को इस आदेश प्राप्ति से के आगामी दो माह के लिए बढ़ाया जाना उचित है। अतः अपील प्रकरण के निस्तारण की समयसीमा दो माह के लिए बढ़ायी जाती है।</p> <p align="center">निर्णय सुनाया गया।</p> <p align="center">               (सुनील) शर्मा              सदस्य         </p> <p align="center">               ( राकेश श्रीवास्तव)              अध्यक्ष         </p>	